

आर. ई. ओ. 12

जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
जोधाक जोधपुर डिस्कॉम/अनु-पीपीपीएण्डएम/फा सामान्य शाखा/प्रो 1617 दिनांक- 26-11-2002

आदेश

विषय: रपेशल स्कीम के आवेदको के 11के.वी. के वी.आर. 8% से अधिक होने पर कनेक्शन नही देने के सम्बन्ध में।

सामान्य सभिते की 48 वी बैठक दिनांक 31.10.2002 में निर्णय लिया गया है कि रपेशल स्कीम के जिन आवेदको के 11 के.वी. के वी.आर.8% से अधिक है,उनके कनेक्शन तकनीकी रुप से नही है। ऐसे आवेदक अपनी इच्छा से कुल आवेदन शुल्क वापिस लेना चाहे तो आवेदन शुल्क वापसी के लिये सादा कागज पर आवेदन कर सकते है। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ऐसे समस्त आवेदको को एक स्टैंडर्ड नोटिस भेज कर इस प्रावधान के बारे में सूचना देगे।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।



(एच.एस.देवडा)

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्याख)
जोधपुर डिस्कॉम , जोधपुर